



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 874]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2016/अग्रहायण 30, 1938

No. 874]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2016/AGRAHAYANA 30, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि.1162(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (गग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा समाप्त विकास अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति) नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा समाप्त विकास अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये 1 अगस्त, 2015 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा समाप्त विकास अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति) नियम, 1990 के नियम 3 के उपनियम (1) में "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस- 11011/02/2016-बीमा-1]

एन.श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी विकास अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. 236(अ) तारीख 19 जनवरी, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि.812(अ), तारीख 5 अक्टूबर, 2010 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2016

G.S.R. 1162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Re-appointment of Terminated Development Officers) Rules, 1990, namely:-

- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Re-appointment of Terminated Development Officers) Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2015.
- In rule 3 of the Life Insurance Corporation of India (Re-appointment of Terminated Development Officers) Rules, 1990, in sub-rule (1), for the words “seven years”, the words “ten years” shall be substituted.

[F. No. S-11011/02/2016-Ins.I]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is to certified that no Development Officer of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 236 (E), dated the 19th January, 1990 and subsequently amended vide G.S.R. 812(E), dated the 5th October, 2010.